

गुना , दिनांक 2/7/2024

क्रमांक/डी.एम./2023/5714
प्रति,

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
ग्वालियर , मध्यप्रदेश

विषय:- गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन विछाने हेतु 1.992 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 2.669 हेक्टेयर) म.प्र. जल निगम मर्यादित, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।
(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक **FP/MP/WATER/146483/2021**)

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रं/6-MPB064/2023-BHO दिनांक 20.06.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कक्ष (कक्ष भू-प्रबंध) , वनभवन म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1199/2022/10-11/3351 भोपाल , दिनांक 25.06.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के संलग्न भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रं/6-MPB064/2023-BHO दिनांक 20.06.2024 से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कक्ष (कक्ष भू-प्रबंध) वनभवन म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1199/2022/10-11/3351 भोपाल , दिनांक 25.06.2024 के अनुसार संलग्न प्रपत्र में दर्शायी गई राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कर , बैंक स्टेटमेंट की प्रति एवं चालन की प्रति यू.टी.आर. नंबर सहित प्रस्तुत करें। जिन शर्तों में वचन पत्र प्राप्त किया जाना है। पालन प्रतिवेदन के साथ भेजें।

प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वनअधिनियम 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारूप हेतु , प्राप्त गैरवनभूमि वनविभाग को हस्तांतरण/नामान्तगरण , फार्म पी-2 , कब्जा रसीद आदि की प्रति भिजवाये , एवं प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर गुना के प्रमाण पत्र की प्रति भी इस कार्यालय को भिजवाये।

भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड कर , इस कार्यालय को भेजें , ताकि प्रकरण मे भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
वनमंडलगुना.(म.प्र.)

गुना , दिनांक 2/7/24

पृष्ठा.क्रमांक/डी.एम./2024/5715
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
वनमंडलगुना.(म.प्र.)

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पू-प्रबंध) वन भवन भोपाल के पत्र/एक-5/2023/10-11/4104 दिनांक 13.08.2023.
से कैम्पा मद में राशि जमा करने का निर्धारित मांग पत्र।

प्रपत्र

सं.क.	मद	रकबा (हेक्टेयर में)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमांक (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रोजेन्ट वेल्सू	1.992	0.2	V	20,02378/-	
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	10.000	-	-	20,02378/-	उपरोक्त प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा 1.992 हेक्टेयर प्रमांनित वनभूमि के निकट 10.000 हेक्टेयर गैरवनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त प्रकरण के अलावा आवेदक संस्थान के अन्य प्रकरण भी ऑनलाईन प्रचलित है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-
योग राशि 20,02378/-						
उपरोक्तानुसार प्रकरणों में 8.705 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसके बदले में आवेदक संस्थान द्वारा 10.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। जिन पर सनी प्रकरणों की एकजोड़ी वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनपरिक्षेत्र आरोन, तहसील आरोन के ग्राम रामगिर खुर्द के सर्वे नं. 92/1 रकबा 10.000 हेक्टेयर में तैयार की गई है। अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पू-प्रबंध के पत्र सं/एक-5/1328/2023/10-11/4304 दिनांक 26.09.2023 के विन्दु क्रमांक 09 में दिये निर्देशानुसार जिन प्रकरण की सर्वप्रथम सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होगी, उसी प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की एक जोड़ी राशि जमा कराई जावगी। उक्त निर्देश पालन में राजघाट जल प्रदाय योजना द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रकरणों में प्रभावित वनभूमि बदले में एक जोड़ी योजना तैयार कराई जाकर, वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 1,08,52,729/- रुपये केम्पा मद में एक जोड़ी जमा कराई जा चुकी है।						
योग राशि 20,02378/-						
3	अन्य राशियां जो केम्पा मद में जमा होना है।	-	-	-	-	
महायोग 20,02378/-						

अ.क.	ऑनलाईन सं.	रकबा हेक्टेयर में	गैरवनभूमि हेक्टेयर में
01	02	03	04
01	FP/MP/WATER/146483/2021	1.992	10.000
02	FP/MP/WATER/146486/2021	2.624	
03	FP/MP/WATER/146489/2021	4.089	
योग		8.705	10.000

वनसंरक्षक अधिकारी
वनमंडल गुना

N.P.V./c.a. PRAPTRA (nal jal yojna)